अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

संशोधन नियम, 2016

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 है।
2. **परिभाषाऐं–**इन नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

   (क) '' अधिनियम'' से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) अभिप्रेत है

   (ख) ''आश्रित'' से पीडित के पिता या पत्नि, बालक, माता–पिता, भाई और बहिन अभिप्रेत है जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीडित पर पूर्णततया या मुख्यतया आश्रित है।

   (ग)''परिलक्षित क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है।

   (घ) ''गैर सरकारी संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजों या ऐसे संगठनो के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समंय प्रवृत किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है।

   (ङ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

   (च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

   (छ) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

   (ज) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में है।
3. **पूर्ववधानात्मक और निवारक उपाय**–(1) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के निवारण की दृष्टि से–

   (i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी, जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आंशका है।

   (ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने और विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के उपदेश देगी,

(iii) यदि आवश्यक समझा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नही है, उनके निकट संबंधियों, सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय मित्रों के आयुधों को सरकारी शस्त्रागार में जमा करवाएगी

(iv) सभी अवैध अग्न्यायुधों का अभिग्रहण करेगी तथा अग्न्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्ध करेगी।

(v) व्यक्ति और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यदि आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी।

(vi) अधिनियम के उपबन्धो के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी,

(vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सर्तकता और मॉनीटरी समिति की स्थापना करेगी।

(viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों या नियमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनकों उपलब्ध उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य सथान पर जागरूकता केन्द्रों कर स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी।

(ix) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी औश्र उन्हे आवश्यक वित्तिय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।

(x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी।

(xi) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितिओं के कार्यकरण, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के लिए उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियो और अन्य अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी।

4. **अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना–** {(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हो जैसा वह विशेष न्यायालयों) और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उप–नियम (1) और उप–नियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जायंगे और **तीन वर्ष** की अवधि के लिए प्रवृत रहेगें।

(2) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक/अभियोजन का भारसाधक एक कलेण्डर वर्ष में 2 बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगें और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सम्यक सावधानी नही किया है तो उसका नाम, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से अधिसूचना निकाल दिया जाएगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को–

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति,

(ख) इस अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबंधो के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और गवाहों के अधिकारों कार्यान्वयन,

का पुर्नर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के सम्बंध में की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही विनिर्दिष्ट होगी।

(5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार के पीडित व्यक्ति ऐसा चाहे तो विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ट अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा।

(6) विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक को फीस का भुगतान, राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियत अन्य पैनल अधिवक्ताओं से उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा।

5. **पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सूचना**–(1) अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने से संबधित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के

भारसाधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जायेगी और ऐसी सूचना देने वाले को पढकर सुनाई जायेगी और प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखबद्ध की जाती है इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार लेखबद्ध की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल मुफ्त दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबद्ध करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ओर से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषण के पश्चात लिखित रूप में एक आदेश उस सूचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किये जाने के लिए संबंधित पुलिस थाने भारसाधक अधिकारी को देगा।

6. **अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण–**(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उपाधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुये जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं घटनास्थल पर जायेगा और राज्य सकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर –

(i)राहत के हकदार पीडितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनायेगा।

(ii) अत्याचार पीडितों की सम्पत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

(iii) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त का आदेश करेगा।

(iv) साक्षियों और पीडितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय करेगा।

(v) पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

7. **अन्वेषण अधिकारी**–(1) अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी, की नियुक्ति राज्य सरकार/पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, मामले की विवक्षाओं को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की येाग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर की जाएगी।

{(2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरन्त राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा औश्र संबद्ध पुलिस थाने कर भारसााधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण औश्र आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलम्ब यदि कोई अन्वेषण अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जायेगा।

{(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है) संबद्ध राज्य संघ राज्य क्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुर्नर्विलोकन करेगा।

8. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना**–(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा–

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था ओर प्रशांति बनाए रखना

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(iv) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना

(v) अनुसूचित जाति औश्र अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना

(vi) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना।

{(vi क) अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करेगा।

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किय गये अन्वेषण और सथल पर किये गए निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करना।

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ करना।

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना।

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की गई स्थिति का पुनर्विलोकन करना।

(xi) उपर्युक्त के संबध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गई/की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक प्रश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9. **नोडल अधिकारी का नाम निर्देशन करना–** राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति औश्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, नोडल अधिकारी नाम निदेर्शित करेगी। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी निम्नलिखित पुनर्विलोकन करेगाः–

(i)नियम 4 के उपनियम (2)और उपनियम (4) नियम 6,नियम 8के खण्ड (xi) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट,

(ii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति

(iv) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय

(v) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता,

(vi) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर–सरकारी संगठनो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन।

{(vii) अधिनियम के अध्याय 4–क के उपबन्धों के अीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।}

10. **विशेष अधिकारी की नियुक्ति–**परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जाएगी।

विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

(i) अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाऐं प्रदान करना औश्र अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रिय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का उपयोजन करना।

(iii) गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाऐं, वित्तिय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट पीडितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।

11. **अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रितों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाऐं–**

(1) अत्याचार पीडित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाडा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाडे का संदाय किया जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट य उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीडित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के

पास जाने के लिए परिवहन की सुविधाऐं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(3) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसकी, आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्ता वाला व्यक्ति अपनी पंसद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाये जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीडित व्यक्ति को देय यात्रा और भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जायेगा।

(4) साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिवार को अपराध के अन्वेषण सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जायेगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नही होगा।

(5) साक्षी, अत्याचार से पीडित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण–पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत करे।

(6) पीडित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेष्ज्ञण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सम्बन्धित अधिकारी के पास अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जायेगा।

(7) जब अधिनियम की धारा 3 अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श, रक्तदान, बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

12. **जिला प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपाय–**

(1)जीवन हानि और सम्पत्ति के हुए नुकसान का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्र पीडित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जायेंगे जहां अत्याचार किया गया है।

(2)पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इत्तिला रिपोर्ट संबंधित थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये है।

(3)पुलिस अधीक्षक, मौके पर निरीक्षण के पश्चात तत्काल एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हे वह उचित और आवश्यक समझे।

(4)जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यकारी आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीडितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीडितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को **सात दिन** के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनो में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरन्त अनुतोष में भोजन, जल, कपडे, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित है।

(4अ)खजाने से तुरन्त धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15–क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुर्नवास का आदेश भी कर सकेगा।

(5)उपनियम (4) के अधीन अत्याचार पीडित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित की मृत्यु या क्षति अथवा सम्पत्ति को हुये नुकसान की बाबत राहत तत्काल प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाले किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।

(6)उपनियम (4) में उल्लिखित राहत और पुर्नवास सुविधाऐं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची में दिये गये मान के अनुसार प्रदान की जायगी।

(7)जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा पीडित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की रिपोर्ट विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जायगी। यदि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय पीडित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित को समय पर नही किया गया अथवा राहत या प्रतिकर पर्याप्त नही था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13. **अत्याचार से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन**–

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस चौकियों औश्र पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो।

14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व**–

(1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ्ज्ञ ही अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15–क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीडितों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यन्वित करने के लिए आवश्यक उपबन्ध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष अभियोजक के कार्यपालन का जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए निवारात्मक कदमों, पीडितों को दिये गए अनुतोष औश्र पुर्नवास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों से संबंध में रिपोर्टो का पुनर्विलोकन करेगी।

15. **राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना**–राज्य सरकार, अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनायगी और उसे कायौन्वित करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर, उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कार्यो का एक पैकेज होगा :–

(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनो में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना

(कक) अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विर्निदिष्ट न्याय तक पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम

(ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन

(ग) पुनर्वास पैकेज

(घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीडित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम

(ङ) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीडित वृद्धों के लिए पेंशन की स्कीम

(च) पीडित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ करने के लिए स्कीम

(छ) पीडित व्यक्तियों को ईंट/पत्थर चिनाई गृह उपलब्ध कराने की व्यवस्था

(ज) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अंत्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिकवास तक सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाऐं।

(2) राज्य सरकार, आकस्मिकता योजना की अथवा उसके सार की एक प्रति और स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करेगी।

16. **राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन–**

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासक–अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा।

(ii) गृहमंत्री, वित्तमंत्री ओर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री–सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे)

(iii)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबन्धित संसद, राज्य विधानसभा और विधान परिषद् के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे।

(iv)मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचति जनजाति आयोग के सदस्य होंगे।

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव।

(2)उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4 क– की धारा 15–क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीडित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे समबन्धित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो जिनके अन्तर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी है, का पुनर्विलोकन करने के लिए कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

17. **जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन–**(1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाऐं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनर्विलोकन के लिए {अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम} अपने जिले में सर्तकता और मॉनीटरी समिति का स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति में निर्वाचित संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के चुने गए सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति सं संबंधित 5 से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य तथा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्गों के ऐसे 3 से अनधिक सदस्य होगें जो गैर–सरकारी संगठनों से सम्बद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य–सचिव होंगे।

(3) जिला स्तरीय समिति की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

{ **17–क उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन** –राज्य के प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अपने उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन का, पीडितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो का पुनर्विलोकन करने के लिए अधिनियम के अध्याय 4–क की धारा 15 क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम} एक सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन करेगा।

''उपाबंध''

(नियम 12(4) देखिए)

राहत राशि के लिए मापदंड

क्रसं	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना {अधिनियम की धारा 3(1)(क)}	पीडित व्यक्ति को एक लाख रूपये। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए: (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत,
2.	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ख)}	
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ग)}	

4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना {अधिनियम की धारा 3(1)(घ)}	(iii) जब अभियुक्त व्यति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1)(4)और (5) के लिए 25 प्रतिशत
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना {अधिनियम की धारा 3(1)(ङ)}	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना {अधिनियम की धारा 3(1)(च)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी है, के साथ हस्तक्षेप करना {अधिनियम की धारा 3(1)(च)}	
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम {अधिनियम की धारा 3(1)(ज)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
9.	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना {अधिनियम की धारा 3(1)(झ)}	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)}	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समपर्ण का संवर्धन करने {अधिनियम की धारा 3(1)(ट)}	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)}	पीड़ित व्यक्ति को पिच्चासी हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना {अधिनियम की धारा 3(1)(ड)}	
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण {अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)}	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ण)}	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(त)}	पीड़ित व्यक्ति को पिच्यासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को काई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना {अधिनियम की धारा 3(1)(थ)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास {अधिनियम की धारा 3(1)(द)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ध)}	
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना {अधिनियम की धारा 3(1)(न)}	
21.	शत्रुता, घृणा व वैमनष्य की भावनाओं में अतिवृद्धि करना {अधिनियम की धारा 3(1)(प)}	
22.	अति श्रृद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना {अधिनियम की धारा 3(1)(फ)}	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करने जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हो, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ब)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड सहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैंकने या फैंकन का प्रयत्न करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)}	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और/या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए: (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच

		में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए, (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत, (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(v-क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पर भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(v-क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) दृश्यरतिकता {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(v-क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(v-क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376–ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(v-क)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी की लज्जा का अनादर करने के लिए आशचित है {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(भ)}	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करेन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहूंच रखने में बाधा पहुंचाना {अधिनियम की धारा 3(1)(म)}	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपये और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना {अधिनियम की धारा 3(1)(य)}	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली ओर पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।

36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)}	(अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को अथवा किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन किसी सडक़ या रास्त को उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संध राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपये की राहत संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)}	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोडे की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा निकालना या उनमें भाग लेना। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)}	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अन्तर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)}	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग, की राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना ओर पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष । संदाय निम्नानुसर किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)}	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उनके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहूंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना। पीड़ित को एक लाख रूपये का अनुतोष। संदाय निम्नानुसर किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
37.	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यख)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए और अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना {अधिनियम की धारा 3(1)(यग)}	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढना। {अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)}	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। {अधिनियम की धारा 3(2)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरबदल हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया जो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने

		पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे दण्ड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्टत किया गया है। {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरबदल हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा उपबंध किया गया जो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। {अधिनियम की धारा 3(2)(vii)}	पीड़ित और उसके आश्रितो को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत न्यायालय को आरोप पर भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विर्शिट विभिन्न निशक्तओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चातृ 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैः
	(ख) जहां अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चातृ 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चातृ 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैः
44.	बलात्संग सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चातृ 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को पांच लाख रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपये संदाय निम्नानुसार किया जाएगा। (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बालत्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगाः– (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध (ii) पीड़ित के बालकों को स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रय स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबन्ध। या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपबन्ध कराना
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।''